निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 251/2020 (2020/00459)

अनवान

अन्जू रांका पत्नी अनिलराज जी रांका (जैन) निवासी जवाहरनगर नगर पालिका कॉलोनी के पीछे चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़

—विपक्षी

कार्यवाही :- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थिति : 1- श्री किशनलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थिया

2- पेशकार सरकार

निर्णय

दिनांक 29/11/2021

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया अन्जू रांका ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व — आधिपत्य - उपयोग - उपभोग की कृषि भूमि ग्राम मान्द्लदेह परवार हल्का पाण्डोली मे आराजी नम्बर 5 रकबा 0.38 हे० स्थित है, जिसके पुरानी पेमाइश के गत साबिक नम्बर 60/7 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा थे। सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व कर्मचारियों की भूल की वजह से प्रार्थिया की आराजी नम्बर 5 का नक्शा ट्रेस छोटा बना दिया है, जिससे प्रार्थिया का रकबा नक्शे मे 0.32 हे० ही दर्ज किया है। प्रार्थिया की आराजी नम्बर 5 के नक्शे मे 0.38 हे० जमीन राजस्व रेकार्ड मे [illegible] दर्ज होनी चाहिए थी प्रार्थिया के पड़ोस मे आराजी [illegible] है, जिसका रकबा [illegible] हे० का नक्शा बनाकर प्रार्थि[illegible] भूमि को राजस्व रेकार्ड ---- [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:26:41 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

से कमी कर आराजी नम्बर 4 के नक्शे मे जोड दी है। प्रार्थीया का राजस्व रेकार्ड मे नक्शा छोटा बना दिया है। प्रार्थीया आ.नं. 5 रकबा 0.38 हे० भूमि पर काबिज है मगर पेमाईश विभाग के अधिकारीयों कर्मचारीयों की लापरवाही से राजस्व रेकार्ड मे नक्शे मे प्रार्थीया की आ.नं.5 के नक्शे को छोटा कर आराजी नम्बर 4 के नक्शे को बढा दिया है, जिसको विलोपित कर प्रार्थीया की आराजी नम्बर 5 के नक्शे को 0.38 हे० भूमि का बनाये जाने हेतु दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया की आराजी नम्बर 5 के नक्शे मे आराजी नम्बर 4 के नक्शे को छोटा कर रकबा 0.06 हे० भूमि जोडी जाकर प्रार्थीया की आराजी की नक्शा दुरुस्ती कराये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिए नोटीस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से पेशकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कमिश्नर नियुक्ति प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौडगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका एवं राजस्व रेकार्ड से जांच कर वस्तुस्थिति की कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

कमिश्नर तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा जरिए पत्रांक। राजस्व/2021/597 दिनांक 22/11/2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने से बहस प्रकरण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण मे कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौडगढ ने जरिए कमिश्नर रिपोर्ट ग्राम मांदलदेह की आ० नं० 5 रकबा 0.38 हे० प्रार्थी[illegible] औद्योगिक प्रयोजनार्थ होकर आ. नं. 5 का शैज[illegible] है, जबकि रेकार्ड मे 0.38 हे० दर्ज है। [illegible] लेट पूर्व आराजी नं. 60/7 रकबा 1[illegible] दर्ज रेकार्ड है, जिसका

...... लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:26:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्तमान मे 0.38 हे० क्षेत्रफल दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आ.नं. 5 का नक्शा 0.32 हे० का बनाया गया, जबकि 0.38 हे० होना था। वर्तमान मे मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी खातेदार का आराजी नं. 5 रकबा 0.32 हे० एवं आ.नं. 4 रकबा 0.06 हे० कुल 0.38 हे० भूमि पर कब्जा है। आ.नं. 4 रकबा 0.67 हे० किस्म बंजड चारागाह आरक्षित भूमि दर्ज रेकार्ड है, जिसका नक्शे से क्षेत्रफल निकालने पर 0.63 हे० आता है, जबकि रेकार्ड मे 0.67 हे० दर्ज है, जो कमी रकबा 0.04 हे० आ.नं. 3/1048 मे शामिल होना अंकित कर, मौके की स्थिति, रिकार्ड एवं सेटलमेंट पूर्व जमी रेकार्ड के मिलान से आ.नं. 5 मे कमी रकबा 0.06 हे. आराजी नं. 4 मे से तथा आ.नं. 4 के कमी रकबा 0.10 हे. आराजी नं. 3/1048 रकबा 1.96 हे. किस्म बंजड चारागाह आरक्षित मे से दिया जाना उचित बताते हुए रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त परिवर्तन किए जाने की अनुशंसा की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत निस्तारण योग्य नही होकर नक्शा दुरुस्ती हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत होना चाहिए था, फिर भी प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारण करने की दृष्टि से धारा 131 एल.आर.एक्ट. के तहत प्रदत्त प्रावधान के तहत कार्यवाही अमल मे लाते हुए उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौडगढ स्वीकार किया जाकर ग्राम मान्दलदेह प०ह० पाण्डोली तहसील चित्तौडगढ स्थित प्रार्थीया की आराजी नम्बर 5 मे कमी रकबा 0.06 हे० आराजी नम्बर 4 मे से तथा आराजी नम्बर 4 के कमी रकबा 0.10 हे० आराजी नं. 3/1048 रकबा 1.96 हे० किस्म बंजड चारागाह आरक्षित मे से पूर्ति किए जाने के आदेश दिए जाते है। कमिश्नर रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा इस निर्णय का पार्ट रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ को प्रेषित की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:26:41 IST
Reason: SelfAttested

(...चित्तौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्राम - मान्दलदेह
प.ह. - पाण्डोली
तह० व जिला - चित्तौड़गढ़
पैमाना - 01 सें. = 20 मी.

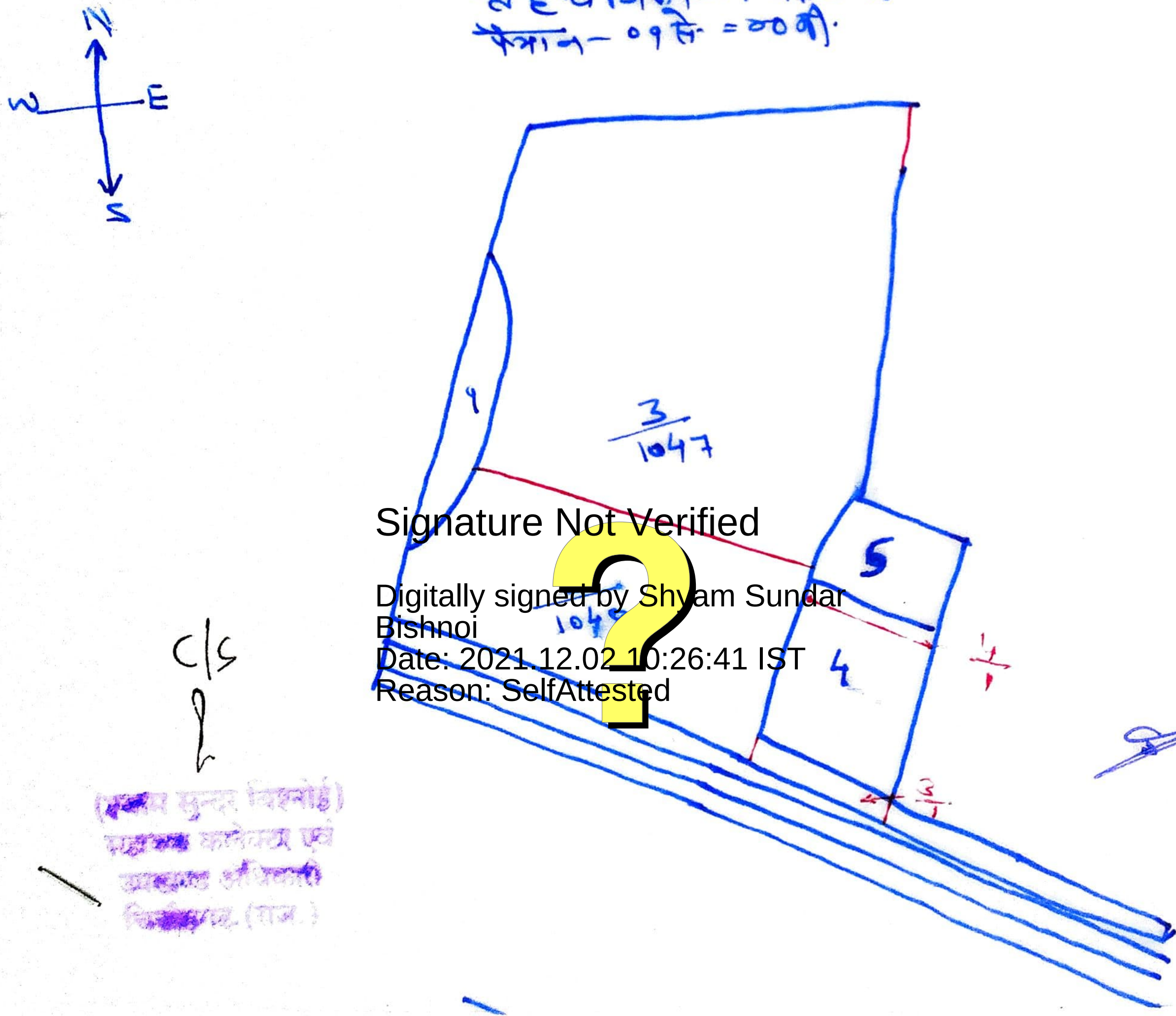

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:26:41 IST
Reason: SelfAttested